21/04/2025

वकील प्रार्थी तथा वकील सामियों द्वारा गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी ने बयान किया कि प्रार्थी गंभीर रोग से पीड़ित होने कारण तथा उनके अभिभाषक के अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण दिनांक 28/6/24 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। अतः न्यायालय द्वारा वाद अनुपस्थिति अनुसार पत्रावली में खारिज कर दिया। प्रार्थी सद्भावना पूर्वक वाद को कन्टेस्ट करना चाहता है। प्रार्थना पत्र 47 R9 CPC R/w section 151 CPC अन्दर स्थाद अवधि दिनांक 24/7/24 को न्यायालय में पेश किया गया है। अतः प्रार्थना स्वीकार कर आदेश दिनांक 28/6/24 को निरस्त किया जाकर वाद को पुनर्स्थापित कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

वकील सामियों द्वारा एवं पत्रावली का अवलोकन उपरान्त प्रार्थी प्रार्थना अन्दर अवधि पेश किया है। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। तथा प्र.सं. 11/2018 उनवान पहलवान / सरकार को पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नमस्कार हो। मूल वादकी पत्रावली के साथ संलग्न है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)